पटना के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में

2024 की आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 1074

पुलिस थाना कांड संख्या- 433 वर्ष- 2024 थाना- बिहटा जिला- पटना से उद्भूत

==========

1. रविशंकर सिंह, पिता- बलरूप सिंह, निवासी- गाँव- जलपुरा, पोस्ट आफिस- मसौरहा, पुलिस थाना- पालीगंज, जिला-पटना।

2. रत्नेश कुमार, पिता- अरविंद सिंह, निवासी- गाँव- जलपुरा, पोस्ट आफिस- मसौरहा, पुलिस थाना- पालीगंज, जिला- पटना।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य, बिहार
2. प्रधान सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, पटना, बिहार
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना, बिहार
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पटना, बिहार
5. जिला दंडाधिकारी, पटना, बिहार
6. उप-मंडल पुलिस अधिकारी, पालीगंज, पटना, बिहार
7. खान निरीक्षक, जिला खान कार्यालय, पटना, बिहार
8. स्टेशन हाउस ऑफिसर, पालीगंज पुलिस स्टेशन, पटना, बिहार
9. थाना काण्ड संख्या - 433 / 2024 के जांच अधिकारी, बिहटा पुलिस थाना, पटना, बिहार।

..... उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थितिः

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री अनुज कुमार, अधिवक्ता

राज्य के लिएः श्री मुज्ताबौल हक, सरकारी अधिवक्ता- 12

श्री मनीष कुमार, जि.पि-12 के ए.सी.

खनों के लिएः श्री नरेश दीक्षित, विशेष लोक अभियोजक खनन।

श्री उत्सव आनंद, अधिवक्ता।

==========

भारत का संविधान---अनुच्छेद 226, 227----भारतीय दंड संहिता---379, 420, 353, 34---बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन निवारण, परिवहन एवं भंडारण) नियम, 2019---एफआईआर रद्द करना---आरोप है कि याचिकाकर्ताओं के वाहन बिना किसी परमिट के अवैध लघु खनिज यानी बालू का परिवहन कर रहे थे---निष्कर्ष: यदि एफआईआर में लगाए गए आरोप बेतुके और निराधार हैं या स्पष्ट रूप से दुर्भावना या गुप्त उद्देश्य से प्रेरित हैं तो एफआईआर रद्द की जा सकती है---अपराध में कथित रूप से शामिल वाहनों या बालू की कोई जब्ती नहीं की गई थी---यदि वाहनों या बालू की कोई जब्ती नहीं थी, तो सूचना देने वाला व्यक्ति वाहनों में लदे बालू की मात्रा कैसे जान सकता था और यदि वाहन बिना किसी परमिट के बालू ले जा रहे थे तो उसे जब्त क्यों नहीं किया गया--- धारा 353 आईपीसी के तहत अपराध करने के लिए, अपने कर्तव्य के निष्पादन में एक लोक सेवक पर आपराधिक बल का प्रयोग करना अनिवार्य है। लेकिन, याचिकाकर्ताओं द्वारा खनन अधिकारी या पुलिस अधिकारियों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने के लिए किसी भी बल का उपयोग करने का कोई आरोप नहीं है---पूरी आपराधिक कार्यवाही सूचनाकर्ता और

पुलिस अधिकारी की ओर से गुप्त उद्देश्य से शुरू की गई प्रतीत होती है---याचिका स्वीकार की गई---वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पटना ने उन परिस्थितियों की जांच करने का निर्देश दिया जिसमें विषय एफआईआर दर्ज की गई थी और यह पता लगाने के लिए कि क्या किसी भी अधिकारी ने कदाचार किया है और इसलिए, कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें। (पैरा-13-16, 19)

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

समक्षः माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार

मौखिक निर्णय

दिनांक: 06-02-2025

वर्तमान याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता ने 10-05-24 को बिहटा पुलिस कांड सं. 433/2024 को रदद करने की मांग की है, जो भारतिय दण्ड विधान की धारा 379,420,353 और धारा 34 के तहत नौ व्यक्तियों सहित याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज की गई है।

2. मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह है कि खनन निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, पटना द्वारा दिनांकित 10.05.2024 लिखित प्रतिवेदन पर उपरोक्त प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 10.05.2024 पर, छापे के दौरान, छापा मारने वाले दल को साइट कैंप कार्यालय, सीगल इंडियन लिमिटेड के कान्हौली में नदी की पीली रेत से भरे वाहन मिले, बिहटा-सरमेरा रोड के पास वाईएफआर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (जेवी)। वाहनों

की जांच के बाद पुलिस स्टेशन से गश्ती दल को बुलाया गया। कुछ वाहन पुलिस थाने में खड़े थे और बाकी वाहनों के चालक अपने वाहनों में यांत्रिक खराबी होने के बाद भाग गए थे। ये वाहन लगभग 950 सी. एफ. टी. येलो सोन रेत से भरे हुए थे। वाहनों के पंजीकरण संख्या इस प्रकार हैंः

(i) बी. आर. 01. जी. एल. 9911 16 व्हीलर हाइवा ट्रक

(ii) बी. आर.01. जी. एम. 5651 16 व्हीलर हाइवा ट्रक

(iii) बी. आर.01. जी. एन. 5551 16 व्हीलर हाइवा ट्रक

(iv) बी. आर.01. जी. एम. 5551 16 व्हीलर हाइवा ट्रक

3. उपर्युक्त वाहनों के मालिकों ने उन वाहनों को जब्त नहीं करने का अनुरोध किया। इसलिए, आधिकारिक कार्य के निर्वहन में बाधा उत्पन्न हुई है।

4. अंत में, उपर्युक्त वाहनों के मालिक अधिकारियों के आग्रह के बाद वाहनों को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए चालकों को उपलब्ध कराने पर सहमत हो गए, लेकिन याचिकाकर्ताओं और मालिकों के विरोध के कारण, अधिक भार वाले वाहनों को कंपनी के परियोजना स्थल पर ले जाया गया और रेत को उतार दिया गया। बिहटा पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा कंपनी के परियोजना स्थल पर वाहनों की तलाशी ली गई और केवल पंजीकरण संख्या वाले वाहन। बी. आर. 01. जी. एम. 5551 पाया गया। अन्य तीन वाहनों को दूसरे मार्ग से ले जाया गया था, इससे पता चलता है कि कंपनी के कर्मचारियों ने भी वाहनों को भगाने में मिलीभगत की थी। इसलिए, याचिकाकर्ता और वाहनों के मालिक अधिक भार लिए वाहन चला रहे थे। यह अधिनियम बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन की रोकथाम, परिवहन और भंडारण) नियम, 2019 के तहत अपराध है, जैसा कि वर्ष 2021 में संशोधित किया गया था। भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू करने का भी अनुरोध किया गया है।

5. मैंने याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिए सहायक लोक अभियोजक को सुना।

6. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता निर्दोष हैं और उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा किया गया वास्तव में, उनके वाहनों का उपयोग रेत यानी परिवहन अनुज्ञप्ति के साथ छोटे खनिजों के परिवहन के लिए किया जा रहा था, उनकी प्रतियां भी रिकॉर्ड में दर्ज की गई हैं, जिनका विवरण इस प्रकार हैः

(i) बी. आर. 01. जी. एम. 5651/ट्रक/चेसिस नं. एमबी1 एक्सईएलएचडी8 पीपीएनयू9934- चालान संख्या 23622124050907003787 0,10.05.2024-1 तक वैधः00:38 एएम.

(ii) बी. आर. 01. जी. एम. 5551/ट्रक/चेसिस नं. एमबी1 एक्सईएलएचडी4 पीपीएनटी7277- चालान संख्या 23622124050907020111 0 10.05.2024-1 तक वैध हैः02:01 एएम.

(iii) बी आर 01 जीएन 5551/ट्रक/चेसिस नं.एमबी1 एक्सईएलएचडी5 आरपीपीजेड 3172/सी हॉल नं.23622124050907065873 0 दिनांक 10.05.2024- 1:06:59 पूर्वाह्न तक वैध।

(iv) बीआर 01 जीएल 9911/ट्रक/चेसीनो। एमबी1 एक्सईएलएचडी0 एनपीसीटी7140/सी हॉलन संख्या 23622124050705058 10 10.05.2024-1 तक वैध हैः05:06 एएम.

7. वह आगे प्रस्तुत करता है कि, वास्तव में, सूचक और पुलिस द्वारा रिश्वत की अवैध मांग की गई थी और उसी का भुगतान न करने के कारण, सूचक ने उन्हें परेशान करने के इरादे से उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया।

8. वह आगे प्रस्तुत करता है कि अपराध में कथित रूप से शामिल वाहन या रेत की कोई जब्ती नहीं हुई है। इसलिए, लिखित प्रतिवेदन बिना किसी आधार के है, जिससे प्रथम सूचना प्रतिवेदन को रद्द किया जा सकता है।

9. राज्य के लिए विद्वान लोक अभियोजक के साथ-साथ खान विभाग के लिए विद्वान विशेष लोक अभियोजक संयुक्त रूप से प्रस्तुत करते हैं कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन में आरोप के अनुसार, एक प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है और जांच अभी भी चल रही है और इसलिए, इस स्तर पर, प्रथम सूचना प्रतिवेदन को रद्द नहीं किया जा सकता है क्योंकि पुलिस को संज्ञेय अपराध के आरोप में जांच करने का अधिकार है।

10. खनन विभाग के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि पुलिस के लिए वाहन को जब्त करने और उसमें रेत भरने का अवसर था क्योंकि वे भाग गए थे।

11. राज्य और खान विभाग के लिए ज्ञात सहायक लोक अभियोजक में यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता के इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं है कि रिश्वत का भुगतान न करने के कारण दुर्भावनापूर्ण तरीके से प्राथमिकी दर्ज की गई है।

12. मैंने पक्षों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर विचार किया और अभिलेख पर सामग्री का अवलोकन किया।

13. मैंने पाया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 379,420 और 353 के तहत विषय प्रथम सूचना प्रतिवेदन दायर की गई है। आरोप का सार यह है कि याचिकाकर्ताओं के वाहन बिना किसी अनुज्ञप्ति के अवैध लघु खनिजों यानी रेत का परिवहन कर रहे थे। हालाँकि, सूचक /खनन अधिकारी की लिखित प्रतिवेदन में, मुझे पता चलता है कि कथित अपराध में शामिल कोई वाहन या रेत जब्त नहीं की गई थी। इसलिए, मुझे लिखित प्रतिवेदन में दिए गए बयान का कोई आधार नहीं मिलता है। यदि वाहनों या रेत को जब्त नहीं किया गया था, तो सूचना देने वाले को वाहनों में भरी हुई रेत की मात्रा कैसे पता चल सकती थी और यदि वाहन बिना किसी परमिट के रेत ले जा रहे थे, तो उन्हें जब्त क्यों नहीं किया गया, इस बयान के बावजूद कि सभी वाहनों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया था और रेत को बाद में कंपनी के परियोजना स्थल पर उतार दिया गया था।

14. मुझे आगे पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया है कि वास्तव में, वे वैध अनुज्ञप्ति के साथ अपने वाहनों में रेत का परिवहन कर रहे थे और इन वैध अनुज्ञप्ति की प्रतियां भी अभिलेख में हैं। औपचारिक प्रथम सूचना प्रतिवेदन . के अनुसार, घटना का समय दिनांक 10.05.2024 को 00. 00 बजे है। इसका मतलब है कि अपराध 10.05.2024 पर आधी रात के ठीक बाद किया गया था, जबकि रेत से लदे याचिकाकर्ताओं के वाहनों के अनुज्ञप्ति लगभग 1. 00 ए. एम. बजे तक वैध थे 10.05.2024 को। इसलिए, याचिकाकर्ताओं के पास अपराध के कथित समय पर रेत से लदे वाहनों के लिए वैध अनुज्ञप्ति था। ऐसी पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि रिश्वत की अवैध मांग को पूरा न करने के कारण उन्हें सूचक और पुलिस द्वारा गलत तरीके से फंसाया गया है और यह आधार प्रेरक प्रतीत होता है। ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 या 420 को लागू करने का कोई सवाल ही नहीं है।

15. लिखित प्रतिवेदन में लगाए गए आरोप के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 353 भी लागू नहीं होती है। आरोप के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने केवल अपने वाहनों को जब्त नहीं करने का अनुरोध किया था। लेकिन इस तरह के अनुरोध को पुलिस द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 353 के तहत अपराध माना गया है, जबकि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 353 के तहत अपराध करने के लिए, अपने कर्तव्य के निष्पादन में एक लोक सेवक के लिए आपराधिक बल का उपयोग अनिवार्य है। लेकिन, याचिकाकर्ताओं द्वारा खनन अधिकारी या पुलिस अधिकारियों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने के लिए किसी भी बल का सहारा लेने का कोई आरोप नहीं है। भले ही पुलिस का बयान स्वीकार किया जाए कि याचिकाकर्ताओं ने उनसे उनके वाहनों को जब्त नहीं करने का अनुरोध किया था, यह याचिकाकर्ताओं द्वारा आपराधिक बल का उपयोग करने के बराबर नहीं है। किसी भी निर्दोष व्यक्ति के लिए इस तरह की अवैध कार्रवाई के खिलाफ अनुरोध करना स्वाभाविक है। यह आपराधिक बल का उपयोग नहीं है।

16. यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन को रद्द किया जा सकता है यदि प्रथम सूचना प्रतिवेदन में लगाए गए आरोप बेतुके और बिना किसी आधार के हैं या स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण या गुप्त उद्देश्य के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। मेरे समक्ष इस मामले में, मैं पाता हूं कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन में दिया गया बयान बिना किसी आधार या अभिलेख पर सामग्री के है। अपराध में कथित रूप से शामिल वाहनों या रेत की कोई जब्ती नहीं हुई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी आपराधिक कार्यवाही सूचक और पुलिस अधिकारी की ओर से गलत उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसलिए, वर्तमान एफ. आई. आर. को रद्द किया जा सकता है।

17. तदनुसार, वर्तमान याचिका को 2024 के बिहटा पुलिस थाना काण्ड संख्या -433 दिनांक 10.05.2024 वाली विषय प्रथम सूचना प्रतिवेदन को रद्द करने की अनुमति दी जाती है।

18. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, सूचना देने वाले और प्राथमिकी दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ जांच स्थापित करना भी अनिवार्य है, क्योंकि ऐसा लगता है कि प्राथमिकी गैर-जिम्मेदाराना तरीके से गलत उद्देश्य से दर्ज की गई है। राज्य के अधिकारियों की इस तरह की कार्रवाई से राज्य के वाणिज्य और व्यवसाय को नष्ट करने की क्षमता रखते है। इस तरह की प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करना लोगों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ भी है कि वे अपना व्यवसाय जैसा चाहें करें। यदि राज्य के अधिकारियों की ऐसी प्रवृत्ति पर समय पर अंकुश नहीं लगाया जाता है, तो यह हमारे राज्य और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को नष्ट कर सकता है।

19. इसलिए, पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को उन परिस्थितियों की जांच करने का निर्देश दिया जाता है जिनमें विषय की प्राथमिकी दर्ज की गई थी और यह पता लगाने के

लिए कि क्या उनमें से किसी ने कदाचार किया है और इसलिए कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें।

20. इस आदेश की एक प्रति सूचना और आवश्यक कारवाई हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पटना को भेजी जाए।

21. इस आदेश की एक प्रति पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को भी उनकी जानकारी के लिए भेजी जाए।

22. संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जांच स्थापित करने के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पटना की रिपोर्ट की प्रतीक्षा में इस मामले को 8.4.2025 पर सूचीबद्ध करें।

(जितेंद्र कुमार, न्यायमूर्ति)

एस.अली/चंदन

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।